जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र विजय आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 16 / 2015

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

सदर पुलिस थाना, बारां, जिला बारां **(अप्रार्थी)**

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**

आदेश दिनांक– 15.11.2021

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंस प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थी के खाते विवादित आराजी ख0नं0 291 / 335 रकबा 1.10 है. किस्म गै.मु.तालाब, 292 / 336 रकबा 0.50 है. किस्म गै.मु.पाल वाके ग्राम काजीखेड़ा तहसील–बारां राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि 2015–2024 में खसरा नम्बर 200 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा किस्म गै.मु.तालाब रहे है, वर्तमान सेटलमेंट संवत 2038–57 में भू प्रबंध विभाग द्वारा नवीन खसरा नंबर 291 रकबा 2.26 हैं किस्म गै.मु. तालाब कायम किये। तत्पश्चात कार्यालय श्रीमान् जिला कलक्टर, महोदय, कोटा के आवंटन आदेश क्रमांक एफ–8 / 130 / राजस्व / 89 / 2494–98 दिनांक 09.05.89 से अप्रार्थी को 30 वर्ष की लीज पर आवंटित कर अप्रार्थी के खाते दर्ज की गयी। आवंटित आराजी खसरा नंबर 291 रकबा 1.10 है. किस्म गै.मु.तालाब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन / नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536 / 2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों / नियमनो को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:47 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त आ[illegible] काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 [illegible] संख्या 1536 / 03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के [illegible] दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया [illegible] आवश्यक है। अतः [illegible] निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी जर्ये प्रतिनिधि उपस्थित हुये तथा जवाब इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम काजीखेड़ा की आराजी खसरा नंबर 296 रकबा 0.04 है., 209 रकबा 0.26 है., 291 रकबा 1.06 है., 292 मिन रकबा 0.42 है., 297 रकबा 0.07 है. भूमि स्थित है। जो राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित थी तथा ख.नं. 296 को छोड़कर समस्त गै.मु.खाड़ी व गै.मु. तालाब व पाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त आराजी मे से ख.नं. 291/335 रकबा 1.10 है. व 292/336 रकबा 0.50 है. पुलिस थाना सदर के निर्माण हेतु आरक्षित है। परन्तु उक्त भूमि वर्तमान में गै.मु. तालाब व गै.मु. पाल के रूप में मौजूद है तथा इसी प्रयोजन में आती है। रेफरेन्स सम्पूर्ण तथ्य की जानकारी होते हुए भी लगभग 13 वर्ष पश्चात पेश किया गया है, जो मियाद अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय की संदर्भित जनहित याचिका अनुसार भूमि की किस्म में परिवर्तन नही किया जा सकता तथा उसका उपयोग उसी के अनुसार होना चाहिये। हस्तगत प्रकरण में न तो भूमि की किस्म का परिवर्तन किया गया है और ना ही उक्त भूमि का उपयोग बाधित हुआ है। राजस्व रिकार्ड में राज0 सरकार भूमि की मालिक एवं स्वामी थी, उसके स्थान पर मात्र पुलिस थाना सदर दर्ज किया गया है, तथा पुलिस थाना सदर भी राज0 सरकार का ही एक अंग है। इस प्रकार ना तो किसी प्रकार का स्वामित्व परिवर्तन किया गया है और ना ही किस्म परिवर्तन करने के कारण उक्त रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः रेफरेन्स को निरस्त करने का आदेश फरमावें।

3— अप्रार्थी प्रतिनिधि का जवाब प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की। बहस के दौराने अप्रार्थी प्रतिनिधि एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित रहे। अतः हमने प्रकरण में पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस समाअत कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

4— हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी।

5— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम काजीखेड़ा की आराजी खसरा नम्बर 291/335 रकबा 1.10 है. किस्म गै.मु. तालाब अप्रार्थी के खाते गलत दर्ज कर दिया। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि 2015—2024 में खसरा नम्बर 200 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा किस्म गै.मु.तालाब रहे है, वर्तमान सेटलमेंट संवत 2038—57 में भू प्रबंध विभाग द्वारा नवीन खसरा नंबर 291 रकबा 2.26 हैं किस्म गै.मु. तालाब कायम किया, [illegible] दर्ज की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.[illegible] थी [illegible] आ[illegible]/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमें[illegible]0 है. किस्म गै.मु.तालाब, बने है जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है [illegible] जिसकी किस्म गै.मु. तालाब दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की [illegible]रा—16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्ध हुआ है। ऐसे नियम विरूद्ध आंवटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तालाब दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

6– हमने पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया, तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि सेटलमेंट जमाबन्दी सम्वत् 2015–2024 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 200 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा किस्म गै.मु.तालाब खाता सरकार दर्ज है। जिसका अप्रार्थी को आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2038–57 नये खसरा नम्बर 291/335 रकबा 1.10 है. किस्म गै.मु.तालाब, जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थी को जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.तालाब खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है।

7– अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थी को आवंटित/नियमन आराजी खसरा नम्बर 200 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा किस्म गै.मु.तालाब का आवंटन/नियमन की गयी आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2038–57 नये खसरा नम्बर 291/335 रकबा 1.10 है. किस्म गै.मु.तालाब, बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु.तालाब दर्ज थी जिसका आवंटन अप्रार्थी को विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

8– परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी के वर्तमान में वाके का[illegible]रा नम्बर 291/335 रकबा 1.10 है. किस्म गै.मु.तालाब, जो मूल रूप से सेटल[illegible]ाबिक खसरा नम्बर 200 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा किस्म गै.मु.तालाब [illegible] गलत रूप से आवंटन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त कि[illegible] भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्ड[illegible] राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

9— तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित/नियमन आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, वर्णित आराजी खसरा नम्बर 291/335 रकबा 1.10 है. किस्म गै.मु.तालाब, वाके ग्राम काजीखेड़ा तहसील–बारां की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को खुर्द–बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 15.11.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:47 IST
Reason: SelfAttested